राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 55/2020

उर्मिला देवी पत्नी स्व. श्री विनोद कुमार शर्मा जाति ब्राहमण निवासी धीरजपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादीया

ब–ना–म

1. अशोक सिंह पुत्र बच्चन सिंह जाति राजपूत निवासी गोविन्ददासपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. रणजीत सिंह पुत्र बच्चन सिंह जाति राजपूत निवासी गोविन्ददासपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. पूर्णसिंह पुत्र बच्चन सिंह जाति राजपूत निवासी गोविन्ददासपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. सुप्यार देवी पत्नी रामअवतार सिंह जाति राजपूत निवासी गोविन्ददासपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. मदन सिंह पुत्र रामअवतार सिंह जाति राजपूत निवासी गोविन्ददासपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. संजय पुत्र रामअवतार सिंह जाति राजपूत निवासी गोविन्ददासपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
7. शाखा प्रबन्धक, इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा कोलिहान नगर।
8. शाखा प्रबन्धक, इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा मेहाड़ा जाटूवास।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

..........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय **दिनांक 18–12–2020**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06–10–2020 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित कर तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई कि वाके ग्राम गोविन्ददासपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता सं. 94 खसरा नंबर 1775 रकबा 0.43 है. ख.नं. 1778 रकब 0.68 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.11 है. भूमि में वादिया के 17/55 हिस्सा तथा भूमि खाता सं. 15 खसरा नंबर 1707 रकबा 0.18 है., ख.नं. 1766 रकबा 0.38 है., ख.नं. 1771 रकबा 0.36 है. कुल कित 3 कुल रकबा 0.92 है. भूमि वदिया के 1/46 हिस्से की भूमि अर्थात् 0.36 है. भूमि का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.12.23 16:46:06 IST
Reason: SelfAttested

रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवायें। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./20/2121 दिनांक 18.12.2020 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18–12–2020 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18–12–2020 (प्रदर्श–'अ–1 लगा.2' व 'ब') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18–12–2020 (प्रदर्श–'अ–1 लगा.2' व 'ब') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18–12–2020 (प्रदर्श–'अ–1 लगा.2' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18–12–2020 (प्रदर्श–'अ–1 लगा.2' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–'ब' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18–12–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.12.23 16:46:06 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

उनवान

उर्मिला देवी पत्नी स्व. श्री विनोद कुमार शर्मा जाति ब्राहमण निवासी धीरजपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

ब–ना–म

1. अशोक सिंह पुत्र बच्चन सिंह जाति राजपूत निवासी गोविन्ददासपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. रणजीत सिंह पुत्र बच्चन सिंह जाति राजपूत निवासी गोविन्ददासपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. पूर्णसिंह पुत्र बच्चन सिंह जाति राजपूत निवासी गोविन्ददासपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. सुप्यार देवी पत्नी रामअवतार सिंह जाति राजपूत निवासी गोविन्ददासपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. मदन सिंह पुत्र रामअवतार सिंह जाति राजपूत निवासी गोविन्ददासपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. संजय पुत्र रामअवतार सिंह जाति राजपूत निवासी गोविन्ददासपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
7. शाखा प्रबन्धक, इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा कोलिहान नगर।
8. शाखा प्रबन्धक, इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा मेहाड़ा जाटूवास।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

दावा बाबत **खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा**

मुकदमा नम्बर :– **55/2020**

निर्णय दिनांक :– **18–12–2020**

वादीगण की ओर से **श्री जयप्रकाश सैनी एडवोकेट** की व प्रतिवादी सं. 7 की ओर से **श्री बद्रीप्रसाद सैनी एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **18–12–2020** को **शिवपाल जाट उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादीया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18–12–2020 (प्रदर्श–'अ–1 लगा.2' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18–12–2020 (प्रदर्श–'अ–1 लगा.2' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **18–12–2020** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

18/12

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.12.23 16:46:06 IST
Reason: SelfAttested